S Ayarcmy

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3748–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 24–09–12 पारित आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 138/अ–3/2007–08 निगरानी.

जाहर सिंह पुत्र बहादुर सिंह लोधी
निवासी ग्राम धुवारा, तह0 बड़ा मलहरा,
जिला छतरपुर, म0प्र0

––– आवेदक

विरूध्द

1– जमनाप्रसाद चौबे तनय रामनाथ चौबे
2– रामसीवन तनय सुखनंदन असाटी
3– लखन नामदेव तनय रामप्रसाद नामदेव
4– जगदीश तनय पूरनलाल राय
5– मिजाजीलाल तनय हरप्रसाद असाटी
6– श्रीमती कमलाबाई पत्नि काशीराम सूत्रकार
सभी निवासी ग्राम धुवारा, तह0 बड़ा मलहरा,
जिला छतरपुर, म0प्र0

–– अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदक
श्री अशोक जैन, अभिभाषक– अनावेदक क0–1
श्री सुरेश रजक, अभिभाषक– अनावेदक क0–2

आदेश

(आज दिनांक 16.6 - 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण क0 138/अ–3/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 24–09–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक जगनाप्रसाद चौबे व्दारा इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम धुवारा स्थित भूमि ख0नं0 589/8 रकबा 0.324 की तरमीम पूर्व राजस्व निरीक्षक व्दारा वर्तमान नक्शे में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तित कर दिया गया। राजस्व प्र0क0 1/अ–3/97–98 दिनांक 17–12–97 के अनुसार तरमीम करने का आदेश हुआ था। राजस्व निरीक्षक व्दारा पूर्व सीमांकन एवं कब्जे वाली भूमि से हटकर तरमीम कर दी है जिसे निरस्त कर पूर्व सीमांकन एवं कब्जे के अनुसार नक्शे में तरमीम करायी जाय। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर राजस्व निरीक्षक से तरमीम प्रस्ताव बुलवाये गये। राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 31–7–99 को प्रस्ताव 3 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार व्दारा इश्तहार प्रकाशित किया गया। आपत्तिकर्त्ताओं को आपत्ति पर सुनवायी के पश्चात नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10–11–99 व्दारा राजस्व निरीक्षक का तरमीम प्रस्ताव दिनांक 31–7–99 स्वीकार किया। नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक बन्दोवस्त श्री मिश्रीलाल पाण्डेय व्दारा किया गया सीमांकन दिनांक 5–1–99 भी स्वीकार किया।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द आवेदक जाहरसिंह व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 28–01–08 में यह निष्कर्ष निकाला कि आराजी नम्बर 589, जो पहिले शासकीय सम्पत्ति थी, का रकबा 100 एकड़ से अधिक है, अनावेदक क0–1 को पट्टे पर विवादित भूमि प्राप्त हुई, जबकि निगरानीकर्त्ता की भूमि खसरा क0 629/1/4/1 रकबा 0.044 हे. स्वामित्व व आधिपत्य की पैत्रिक भूमि है। उक्त खसरा नं0 टीकमगढ़–सागर रोड से लगा हुआ है, जबकि अनावेदक क0–1 की भूमि टीकमगढ़–सागर रोड से काफी दूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने 589/8 की तरमीम निगरानीकर्त्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कर दी है जिस पर निगरानी कर्त्ता का मकान एवं बाउण्ड्री वर्ष 1988 से बने

हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्त्ता को कोई सूचना नहीं दी गयी है। अतः अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 10–11–99 निरस्त किया।

4/ उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदक क0–1 जमनाप्रसाद व्दारा निगरानी आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी। आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24–09–12 में यह निष्कर्ष निकाला है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 10–11–99 के विरूध्द दिनांक 13–7–06 को अर्थात 7 वर्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गयी और निगरानी के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत कोई आवेदनपत्र एवं समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपर कलेक्टर को नियमानुसार इस निगरानी के सात वर्ष पश्चात प्रस्तुत होने पर विलम्ब को माफ किये जाने के संबंध में निर्णय लेना था, तत्पश्चात प्रकरण के गुण–दोषों पर सुनवायी की जाना थी। आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि तरमीम की कार्यवाही ख0नं0 588/8 में की गयी है, जबकि ख0नं0 629 पृथक खसरा नम्बर है और दूरी पर है। अतः आयुक्त व्दारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–11–99 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होना प्रतिपादित किया है। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

5/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो कोई सूचनापत्र आवेदक पर तामील हेतु जारी किया गया और ना ही उसे सुनवायी का अवसर दिया गया। जानकारी के दिनांक से समयावधि में निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक का मकान उसके भूमिस्वामी

स्वत्व की भूमि 629/1/4/1 रकबा 0.044 पर बना है। उक्त रकबा टीकमगढ़ सागर रोड से लगा हुआ है, जबकि अनावेदक कमांक–1 की भूमि टीकमगढ़–सागर रोड से काफी दूर है। तहसील न्यायालय ने भूमि नं0 589/8 की तरमीम आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कर दी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया।

6/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का यह तर्क है कि अनावेदक की भूमि टीकमगढ़–सागर रोड से लगी है। अनावेदक व्दारा अपने स्वत्व की भूमि का विधिवत सीमांकन कराया गया है जिसमें अनावेदक के स्वत्व की भूमि पर राम संजीवन, पन्नालाल, कमला, आवेदक बहादुरसिंह आदि का कब्जा पाया गया। तहसील न्यायालय व्दारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्राप्त होने पर इश्तहार प्रकाशित कर आपत्तियॉ आंमत्रित की गयी। रामसंजीवन आदि व्दारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार व्दारा आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात आदेश पारित किया गया है। आवेदक जाहरसिंह को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी थी, किन्तु उसके व्दारा नियत समयावधि में सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गयी। अपर कलेक्टर के समक्ष 7 वर्ष बाद निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया और विलम्ब को माफ करने के लिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन एवं शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये, इस कारण अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी समयावधि बाह्य होने से सुनवायी योग्य नहीं थी। अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि नक्शा तरमीम खसरा नं0 589/8 का किया गया है जिसका आवेदक के स्वत्व की भूमि 629/1/4/1 से कोई संबंध नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

7/ तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 15 पर उपलब्ध नक्शा टेस की सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि नायब

तहसीलदार, धुबारा के रा0प्र0क0 1/अ–3/97–98 दिनांक 17–12–97 से खसरा नं0 589/8 की वर्तमान तरमीम 'ख' के स्थान पर निरस्त किया जाकर 'अ' के स्थान पर किये जाने का आदेश हुआ। तदनुसार नक्शे में संशोधन किया गया। नक्शा टेस में 'ख' तथा 'अ' दोनों ही स्थान खसरा नं0 589 के हैं। तहरील के अभिलेख पृष्ठ 165 पर उपलब्ध नक्शे को देखने से स्पष्ट है कि खसरा नं0 589 काफी बड़ा रकबा है तथा अनावेदक क0–1 की भूमि खसरा नं0 589/8 की नक्शा तरमीम के आगे रोड है तथा पीछे 589 का शेष भाग है। आवेदक व्दारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 629/1/4/1 खसरा नं0 589/8 से लगी है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि पूर्व में नक्शा तरमीम आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 629/1/4/1 पर की गयी।

8/ तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार व्दारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्राप्त होने पर 9–8–99 को इश्तहार जारी कर आपत्तियॉं आमंत्रित की गयी। इश्तहार की प्रति तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 199 पर उपलब्ध है। इस इश्तहार के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विधिवत सुनवायी कर उनका निराकरण नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10–11–99 व्दारा किया गया है। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को तहसील न्यायालय के नक्शा तरमीम कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक ने तहसील के आदेश दिनांक 10–11–99 के विरूध्द 13–7–06 को निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई है। अपर कलेक्टर के अभिलेख में समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदनपत्र उपलब्ध नहीं है और ना ही आवेदक व्दारा यह बतलाया गया है कि निगरानी किस प्रकार समयावधि में हैं। निगरानी आवेदनपत्र में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का अनुरोध किया

गया है। मामला प्राइवेट पक्षकारों के मध्य का है और किसी एक पक्ष को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में विव्दान आयुक्त ने निगरानी सात वर्ष पश्चात प्रस्तुत होने पर विलम्ब को माफ किये जाने के संबंध में निर्णय लिये बिना अपर कलेक्टर व्दारा आदेश पारित करने से अपर कलेक्टर का आदेश विधि अनुकूल नहीं होना मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। आयुक्त, सागर संभाग का आदेश दिनांक 24–09–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0